

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <b>निगरानी / कोलो. / 2006 / 1439 / श्रीगंगानगर</b> <b>चन्दूराम बनाम श्रीमती मुख्त्यारकौर व अन्य</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;"><b>एकल-पीठ</b> <b>श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित :-</b> श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अप्रार्थी (केवियटकर्ता)</p> <p style="text-align: right;"><b>दिनांक : 17 फरवरी, 2021</b></p> <p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b></p> <p>1- यह निगरानी अन्तर्गत धारा-23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम-1975 के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 6-1-2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2- निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को चक 1 एमएलके. के मुख्बा नम्बर-69/4 किला नम्बर-1, 2, 3, 9, व 10 अनकमाण्ड व किला नम्बर-11 कमाण्ड कुल 6 बीघा भूमि दिनांक 16-11-1989 को स्माल पेंज में 700/-रूपये अनकमाण्ड व 1500/-रूपये कमाण्ड कुल 7000/-रूपये में आबंटन किया गया। जिसकी प्रथम किश्त 1400/-रूपये प्रार्थी ने उक्त आबंटन ही जमा करा दी एवं द्वितीय किश्त दिनांक 13-2-1991 व तृतीय किश्त भी दिनांक 7-5-1996 को जमा करा दी। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर आबंटन से काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन शेष किश्त कुछ अरसे से अकाल होने से जमा नहीं हो सकी। विद्वान उप जिला कलेक्टर, अनूपगढ़ ने दिनांक 23-3-2000 को बिना प्रार्थी को नोटिस दिये एवं बिना सुने प्रार्थी का आबंटन किश्तें जमा नहीं कराना मानते हुये खारिज कर दिया। तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होते हुये भी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <b>निगरानी / कोलो. / 2006 / 1439 / श्रीगंगानगर</b> <b>चन्दूराम बनाम श्रीमती मुख्त्यारकौर व अन्य</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>दिनांक 29-1-2004 को प्रार्थी को बिना सुने उक्त भूमि का आबंटन अप्रार्थीया संख्या-1 मुख्त्यार कौर को कर दिया गया। जिसके विरुद्ध एक अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने विधि विपरीत जाकर अपने निर्णय दिनांक 6-1-2006 के द्वारा प्रार्थी की अपील निरस्त कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- बहस एडमिशन एवं अन्तिम निर्णय हेतु उभयपक्ष सुनी गयी।</p> <p>4- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम, विधि व रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी का आबंटन निरस्त करने से पूर्व ना तो प्रार्थी को कोई नोटिस दिया गया और ना ही सुना गया। अतः प्रार्थी को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुने ही एकतरफा में पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि 15 वर्ष पुराने आबंटन को मात्र एक किश्त बकाया होने पर निरस्त किया है जो न्यायिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 6-1-2006 एवं विद्वान उप जिला कलेक्टर, अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 22-3-2000 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।</p> <p>5- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने आबंटन की राशि व शर्तों की पालना नहीं की थी इसलिये उसको किया गया आबंटन निरस्त कर दिया गया। आबंटित भूमि सिवायचक दर्ज हो गई और बाद में कीमतन अप्रार्थी संख्या-1 को आबंटित कर दी गई। उक्त आबंटन 17 वर्ष पहले हो चुका है और आबंटन</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <b>निगरानी / कोलो. / 2006 / 1439 / श्रीगंगानगर</b> <b>चन्दूराम बनाम श्रीमती मुख्त्यारकौर व अन्य</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>की तिथि से काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनकर विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय पारित किया है। निगरानी में कोई ठोस तथ्य नहीं होने के कारण एडमिशन स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।</p> <p>6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।</p> <p>7- पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंह नगर के आबंटन आदेश मिसल नम्बर-90/89 के अन्तर्गत दिनांक 16-11-1989 को निगराकार को चक 1 M.L.K.A. के मुर्ब्बा नम्बर-69/4 के किला नम्बर-1, 2, 3, 9 व 10 किता 5 रकबा 5 बीघा अनकमाण्ड व किला नम्बर-11 एक बीघा भूमि कमाण्ड कुल 6 बीघा भूमि का आबंटन राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम-1975 के अधीन छोटे भूखण्ड का आबंटन किया जिसकी प्रथम किस्त 1400/-रूपये प्रथम किश्त जमा कराई गई। चूंकि निगराकार ने बकाया राशि जमा नहीं कराई इसलिये दिनांक 22-3-2000 को आबंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त भूमि का पुनः आबंटन दिनांक 29-1-2004 को अप्रार्थी संख्या-1 को कर दिया गया। पुनः आबंटन की तिथि से अप्रार्थी संख्या-1 काबिज काश्त है।</p> <p>8- निगरानीकर्ता ने आबंटन निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में एक अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 6-1-2006 को खारिज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों का विधिवत विश्लेषण किया है और विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानी में कोई ठोस एवं आधारभूत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं इसलिये</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <b>निगरानी / कोलो. / 2006 / 1439 / श्रीगंगानगर चन्दूराम बनाम श्रीमती मुख्त्यारकौर व अन्य</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>यह निगरानी एडमिशन स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>9- उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी एडमिशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">( हरि शंकर गोयल ) सदस्य</p>	

